संसदीय वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, २ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

३ म० प०

उद्जन बम परीक्षण

अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यान दिलाना

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान, उपाध्यक्ष महोदय, अभी उस दिन माननीय सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की थी कि उद्जन बम पर मैं एक वक्तव्य दूं। इस विषय पर मेरे पास दो या तीन अल्प सूचना प्रश्न भी आये हैं। अतः मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं, जिसमें अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर भी आ जायेंगे।

सरकार की स्थिति को बताने के इस अवसर का मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस नवीनतम भयानक आयुध, उदजन बम और उसके ज्ञात एवं अज्ञात परिणामों व विभीषिकाओं के प्रति देश के क्या विचार हैं।

हमें बताया गया है कि अमरीका और रूस दोनों ही के पास यह आयुध है और इन दोनों देशों ने पिछले दो वर्षों में इसके परीक्षण विस्फोट किये हैं जिनका प्रभाव प्रत्येक दृष्टि से मानव को ज्ञात किसी भी विनाशक शस्त्र से कहीं अधिक है।

अमरीका ने पहली मार्च को विस्फोट करने के बाद एक और अधिक शक्तिशाली विस्फोट किया है और कहा जाता है कि अभी कई और विस्फोट करने का उसका कार्यक्रम है।

उद्जन बम और उसके विनाशकारी एवं भयानक परिणामों के विषय में समाचार पत्रों में जितनी बातें प्रकाशित हुई हैं अथवा जो अन्यथा सामान्य जानकारी था अनुमान की बातें हैं, उनसे थोड़ा अधिक हमें मालूम है। परन्तु हमें जितना मालूम है उतना ही और यह तथ्य कि इन विस्फोटों के प्रभावों की पूरी पूरी बातें वैज्ञानिकों तक के द्वारा निर्णय नहीं मालूम होतीं हैं, कुछ निष्कर्षों का संकेत करता है। आयतन और उग्रता दोनों ही में अभूतपूर्व शक्ति वाले, कदाचित काल और स्थान अर्थात् काल और परिणामों की व्यापकता सम्बन्धी विनाशक शक्ति के अनिश्चित और अनिर्णय प्रभाव क्षेत्र वाले एक नये आयुध की परीक्षा की जा रही है और फलस्वरूप एक युद्धास्त्र के रूप में उसके प्रयोग के लिये उसकी विशाल शक्ति को मुक्त किया जा रहा है। हम जानते हैं कि इसके प्रयोग से मानव और सभ्यता दोनों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ही के अस्तित्व को खतरा है। हमें बताया गया है कि उद्जन बम से बचाव का कोई प्रभावशाली उपाय नहीं है और यह कि एक ही विस्फोट से लाखों व्यक्ति काल का ग्रास हो सकते हैं और उससे कहीं अधिक ज़ख्मी हो सकते हैं और कदाचित् इससे भी अधिक जनसंख्या घुट घुट कर मौत के मुंह में जा सकती है या उसे मृत्यु और रोग के बीच निरन्तर भय के वातावरण में जिन्दा रहना पड़ सकता है।

ये भयानक सम्भावनायें हैं और इसका हम पर प्रभाव पड़ता है—सभी राष्ट्रों और लोगों पर—चाहे हम लड़ाइयों में या शक्ति गुटों में फंसें या न फंसें।

संसार के भिन्न भिन्न भागों में ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे उद्जन बम युग के भयानक पहलुओं और अशुभ सम्भावनाओं का संकेत मिलता है। मैं उनमें से केवल कुछ का ही हवाला दूंगा।

कुछ समय पूर्व जब सबसे पहले उद्जन बम की खुले आम चर्चा हुई थी तो प्रो० अलबर्ट आइन्स्टाइन ने कहा था कि यदि उद्जन बम बनाया गया तो वायु मण्डल की रेडियो सक्रिय विषाक्तता से पृथ्वीतल पर समूचे प्राणीमात्र का विनाश सम्भव हो जायेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आज वह भयंकर सफलता प्राप्त कर ली गई है।

सिनसिनाटी विश्व विद्यालय के एक अमरीकी प्रोफेसर डा० ग्रीनहेड ने कहा था कि यदि उद्जन बमों को उनसे होने वाली शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के लिये इस्तैमाल किया गया तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जायेंगे जब हमारे हाथ में अपने पूर्ण विनाश के साधन हों जायेंगे।

आस्ट्रेलिया सरकार के रक्षा व वैज्ञानिक सलाहकार श्री मार्टिन, कनाडा के वैदेशिक कार्य-मंत्री, श्री लेस्टर पियर्सन और सोवियत प्रधान मंत्री श्री मालेनकोव ने भी इस सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट करते हुए बताया है कि किस प्रकार समस्त संसार इस भयंकर विनाशकारी आयुध के सम्भावित परिणामों से चिन्तित हो उठा है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन आयुधों और उनके भयंकर परिणामों के सम्बन्ध में सारे संसार में—विशेष कर लोगों के दिलों में—एक गहरी और व्यापक चिन्ता व्याप्त है। परन्तु केवल चिन्ता ही पर्याप्त नहीं है। केवल भय और डर से ही क्रियात्मक विचार या प्रभावशाली कार्यवाही उत्पन्न नहीं होती है। बेचैनी विद्यमान अथवा संभावित किसी भी प्रकार की भयंकर घटना के विरुद्ध कोई उपाय नहीं है।

मानवता को यथार्थ के प्रति जागरूक होना है, स्थिति का दृढ़ता के साथ सामना करना है और विनाशकारी दुर्घटना को टालने के लिये ज़ोर लगाना है।

इस मामले में इस देश की सामान्य स्थिति बार बार बताई जा चुकी है और उसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। यह हमारा काम है कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भरसक प्रयत्न करें।

हमारा यह कथन रहा है कि आणुविक (ताप आणुविक सहित), रासायनिक तथा शरीर विज्ञान (रोगाणु सम्बन्धी) ज्ञान और शक्ति का प्रयोग सामूहिक विनाश के इन आयुधों के बनाने के लिये नहीं किया जाना चाहिये। हमने सर्व सम्मति से और तत्काल सम्बन्धित राष्ट्रों के बीच ऐसे समझौतों के द्वारा ऐसे आयधों पर रोक लगाने का पक्ष लिया है। फ़िलहाल बाद वाला उपाय ही ऐसे आयुधों पर रोक लगाने के लिये प्रभावशाली तरीक़ा है।

मैं समझता हूं कि सदन को हमारे वे प्रयत्न याद होंगे जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस दृष्टिकोण के अपनाये जाने के लिये बार बार किये थे।

१९५३ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अन्तिम अधिवेशन में, निःशस्त्रीकरण के संकल्प के सम्बन्ध में हमारे प्रतिनिधि मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों के फलस्वरूप, स्वीकृत संकल्प में यह बातें सम्मिलित कर ली गई थीं :

(१) "महासभा द्वारा अणु, उद्जन रोगाणु, रसायनिक तथा अन्य युद्ध के एवं सामूहिक विनाश के आयुधों के समापन और उन पर प्रतिबन्ध लगाने की ओर प्रभावशाली उपायों से इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपनी उत्कट इच्छा की पुष्टि"

(२) निःशस्त्रीकरण आयोग के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये एक ऐसी उपसमिति बनाने की व्यवस्था जिसमें मुख्य रूप से अन्तर्ग्रस्त शक्तियां सम्मिलित हों और जिसकी गुप्त बैठकें ऐसे स्थानों पर हों जिनको वह चुनें।

सदन को मालूम है कि इस बाद वाले सुझाव पर बर्लिन में तथा अन्यत्र मुख्य रूप से सम्बन्धित शक्तियों द्वारा विचार किया जा रहा है और बातचीत हुई है और जहां तक हमें ज्ञात है ये बातचीत अभी चल रही है।

आज समय ही हमें चुनौती दे रहा है। विनाश तेजी से हमारा पीछा करता आ रहा है और यदि वह हमसे आगे नहीं बढ़ जायेगा, तो कम से कम हमें पकड़ अवश्य लेगा। हमें इसे रोकने का प्रयत्न करना होगा और उससे होने वाले भीषण विनाश को टालना होगा। सरकार का इरादा इस विषय में पूरा ध्यान देने और सर्व सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के उपाय यथासमय व यथास्थान करते रहने का है।

मैं खुले आम यह बता चुका हूं कि हमारा यह विचार है कि ये प्रयोग, जिन्होंने अपना एकमात्र प्रयोजन पूरा कर दिया है, अर्थात् आंशिक रूप से भय और विनाश का रूप प्रकट कर दिया है, बन्द होने चाहियें। मैं फिर यह कहता हूं कि हमारा यही विचार है, और हम आशा करते हैं कि यह विचार और इससे व्यक्त होने वाली भारी चिन्ता, जो कि संसार व्यापी है, पर्याप्त और सामयिक कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देगी।

सामूहिक विनाश के इन आयुधों पर प्रतिबन्ध लगाने और इनके समापन, के सम्बन्ध में जो कि महासभा की उत्कट इच्छा है, जब तक कोई पूर्ण या आंशिक समाधान नहीं हो जाता है, तब तक सरकार तत्काल की जाने वाली कार्यवाहियों में से इन पर विचार करेगी :

(१) कम से कम इन वास्तविक विस्फोटों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 'यथास्थिति समझौता' होना चाहिये, चाहे मुख्य रूप से सम्बन्धित राष्ट्रों के बीच इनके उत्पादन और इकट्ठा करने को बन्द करने के सम्बन्ध में और अधिक ठोस समझौते बाद में हों।

(२) इन शस्त्रों का उत्पादन करने वाले मुख्य देश और संयुक्त राष्ट्र संघ उनकी उन विनाशकारी शक्ति और उनके ज्ञात प्रभावों के सम्बन्ध में पूर्ण प्रचार करें। इसके अलावा यह भी बतायें कि इन शस्त्रों के अज्ञात किन्तु संभावित प्रभाव क्या हैं। हमारे विचार से इस प्रकार से हम सबसे अधिक प्रभावशाली रूप से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।

(३) निःशस्त्रीकरण आयोग की उपसमितियों की तात्कालिक (एवं लगातार) प्राइवेट बैठकें हों जिनमें इस शस्त्र के ऊपर नियंत्रण, प्रतिबन्ध आदि लगाये जाने तक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

किसी यथास्थिति समझौते पर विचार किया जाये।

(४) विश्व के वे सभी देश तथा उनकी जनता, जो कि इन शस्त्रों के आशंकित प्रयोग तथा मौजूदा परीक्षण विस्फोटों से प्रभावित एवं चिन्तित हैं, यद्यपि इन शस्त्रों के उत्पादन से उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, इन शस्त्रों के विरुद्ध सक्रिय क़दम उठायें। मैं आशा करता हूं कि वे इस पर अपनी चिन्ता प्रकट करते हुए इस प्रभावशाली ढंग से अपनी आवाज़ उठायेंगे कि उस विनाशकारी शस्त्र की—जिसने सभी जगह आतंक फैला दिया है—प्रगति को रोका जा सके।

भारत सरकार इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भरसक प्रयत्न करेगी।

अन्त में मैं इस सदन और देश की ओर से उन जापानी मछियारों व दूसरे लोगों तथा जापानी जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं, जिनके लिये हाल के विस्फोट ने अपने सीधे प्रभाव से और आहार के विषाक्त हो जाने के डर से एक भारी भय और चिन्ता पैदा कर दी है।

खुला सागर अब उन्मुक्त विचरण के लिये पहले की भांति खुला नहीं रह गया प्रतीत होता है, और यदि वह खुला हुआ रह भी गया है तो केवल उन व्यक्तियों के लिये जो इन विस्फोटों के फलस्वरूप पैदा होने वाले खतरों का सामना करते हुए मछली पकड़ने या अन्य कार्यों से उस पर यात्रा करते हैं। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि एशिया एवं उसके निवासी हमेशा ही उन घटनाओं और परीक्षणों के तथा उसके वास्तविक और सम्भावित परिणामों के निकट होते हैं।

हमें अभी तक पूरी तौर से यह बात नहीं मालूम है कि इन विस्फोटों के जारी रहने वाले प्रभाव केवल वायु और जल के माध्यम के द्वारा जाते हैं या वे प्रकृति के अन्य अंगों में भी रहते हैं और हमें यह भी नहीं ज्ञात है कि ये प्रभाव कितने दिनों तक रहते हैं, अथवा क्या उनसे कुछ शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा होती हैं, जिसके सम्बन्ध में कुछ लोग संकेत कर चुके हैं।

हमें पूर्ण विनाश की ओर चल रही इस दौड़ को रोकने के लिये प्रयत्न करने के हेतु आशा एवं विश्वास के साथ प्रयत्न करते रहना चाहिये।

गोआ में स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : नियम २१५ के अन्तर्गत श्री कोठा रघुरामय्या और श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने गोआ में भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये सूचना दी है। क्या माननीय प्रधान मंत्री को कुछ कहना है?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): श्रीमान्, मैंने अभी एक वक्तव्य दिया है। नियम २१५ के अन्तर्गत अभी मुझे दो और वक्तव्य देने हैं—एक का सम्बन्ध फ्रांसीसी बस्तियों से है और दूसरे का हवाई प्रदर्शन से। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि नियम २१५ का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाये किन्तु ऐसा अनेक बार न होना चाहिये।

स्पष्ट है कि गोआ में जो स्थिति है वह वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं लेकिन कोई ऐसी नई बात नहीं हुई है जिसे मैं सदन के सामने रख सकूं और यदि मुझे वक्तव्य देना ही पड़ा तो वही बातें दोहरानी पड़ेंगी जो मैं कह चुका हूं। अतएव इस विशेष मामले में इस समय यह वांछनीय है—मैं आगे की बात नहीं कहता—कि मैं आगे चल कर कोई वक्तव्य दूं। उस समय मैं सदन के सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा।